भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 103
27 जुलाई, 2021 को उत्तरार्थ

भारी बारिश के कारण फसल को क्षति

*103 श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:
श्री संजय जाधव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत वर्ष के दौरान मराठवाड़ा क्षेत्र विशेषकर उस्मानाबाद और परभणी में कितने मूल्य की कृषि एवं बागवानी फसलों की क्षति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार फसलों की उक्त हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के अंतर्गत किसानों को सहायता प्रदान करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ड.) सरकार द्वारा जान-माल, संपत्ति और पशुधन की हानि की क्षतिपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई धनराशि जारी की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

भारी बारिश के कारण फसल को क्षति के संबंध में दिनांक 27 जुलाई, 2021 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 103 के भाग (क) से (च) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (च): राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत के उपाय करती हैं, जिसे पहले से ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार उनके निपटान में रखा गया है। स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानदंडों के तहत अनुमोदित सहायता राहत के रूप में प्रदान की जाती है।

जून-अक्तूबर माह 2020 में भारी बारिश के मद्देनजर, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने एनडीआरएफ से वित्तीय सहायता की मांग संबंधी एक ज्ञापन सौंपा। भारत सरकार ने महाराष्ट्र को 701.00 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी।

*****